



2026:AHC:166064

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध अग्रिम जमानत धारा 482 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत आवेदन संख्या

- 8054 वर्ष 2026

सुनील कुमार @ शिवम

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : देवेंद्र सिंह

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला,

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का परिशीलन किया।
2. वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 133 वर्ष 2022, धारा 363, 368, 120-बी भारतीय दंड संहिता, थाना- खागा, जनपद- फतेहपुर में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें आवेदक को अग्रिम जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गई है, क्योंकि आवेदक को उपर्युक्त मामले में अपनी गिरफ्तारी की आशंका है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक को वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। प्रारंभ में आरोप-पत्र केवल संजय गौतम नामक व्यक्ति के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया था और आवेदक के विरुद्ध आरोप-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था। आगे की विवेचना में आवेदक का नाम प्रकाश में आया और दिनांक 03.03.2023 को दूसरा आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें आवेदक को भी अपराध में संलिप्त दर्शाया गया है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 एवं 164 के अंतर्गत अभिलिखित कथित पीड़िता के बयानों का संदर्भ देते अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



हुए कहा कि आवेदक के विरुद्ध पीड़िता के अपहरण अथवा उस पर किसी लैंगिक हमले का कोई आरोप नहीं लगाया गया है। पीड़िता का कहना है कि वह सह-अभियुक्त संजय से प्रेम करती है। पीड़िता ने सह-अभियुक्त संजय से विवाह भी कर लिया है और वर्तमान में उसके साथ रह रही है। आवेदक का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है।

4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना का विरोध किया। तथापि, वह इस तथ्य से विवाद नहीं कर सके कि आवेदक का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है।

5. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर विचार किया है।

6. मामले में आवेदक के विरुद्ध दूसरे अनुपूरक आरोप-पत्र में आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया है। आवेदक के विरुद्ध पीड़िता पर लैंगिक हमला किए जाने का कोई आरोप नहीं है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 एवं 164 के अंतर्गत अभिलिखित पीड़िता के बयान से संकेत मिलता है कि पीड़िता सह-अभियुक्त संजय के साथ प्रेम संबंध में थी, जिसके साथ उसने विवाह कर लिया है और वर्तमान में उसके साथ रहने की बात कही गई है। यह नहीं कहा गया है कि आवेदक ने विवेचना से बचने का प्रयास किया तथा विवेचना के दौरान उसका बयान भी अभिलिखित किया गया प्रतीत होता है।

7. मामले के सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तथा मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं आवेदक को अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाना उचित समझता हूँ।

8. उपर्युक्त के दृष्टिगत, आवेदक का अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

9. आवेदक सुनील कुमार @ शिवम की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे उपर्युक्त मुकदमा अपराध में तत्काल अग्रिम जमानत पर संबंधित थाने के थाना प्रभारी/संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर समान धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि का जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन रिहा किया जाएगा :-

i. आवेदक जब भी आवश्यक हो, पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध कराएगा;

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



ii. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को ऐसा कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो;

iii. आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;

iv. आवेदक अभियोजन साक्षी पर दबाव नहीं डालेगा/उसे भयभीत नहीं करेगा।

10. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, संबंधित न्यायालय को जमानत निरस्त करने की स्वतंत्रता होगी।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त की गई टिप्पणियाँ केवल वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन के निर्णय के प्रयोजनार्थ हैं और इन्हें मामले के गुण-दोष पर राय नहीं माना जाएगा।

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

7 अगस्त, 2026

सचिन

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।